

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 269/2023

अनवान : -

1. गोकुल सिंह पुत्र विजय सिंह जाति राजपुत निवासी थिराना तहसील नोहर।

-वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

-प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88

राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :- श्री चन्द्रशेखर अधिवक्ता वादी

राजपेरोकार

निर्णय

दिनांक: 24/5/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता स0 263/49 की कुल 6.5260 हैक्ट भूमि में 1/4 हिस्सा, रोही मौजा थिराना के खाता स0 241/397 की कुल 2.5290 हैक्ट भूमि में 1/5 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादी का नाम सहवन से उक्त वाद भूमि के राजस्व रिकार्ड में नाम क्रमशः गोकलसिंह पुत्र विजयसिंह व गोकल सिंह पुत्र बिरज सिंह दर्ज हो गया जबकि वादी का सही व वास्तविक नाम गोकुल सिंह पुत्र विजय सिंह है। यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज रहने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

वादी का अन्य दस्तावेजात यथा आधारकार्ड, राशनकार्ड, जनआधार कार्ड आदि में वादी का नाम गोकुल सिंह पुत्र विजयसिंह दर्ज है जबकि रोही मौजा नीमला के खाता स0 241/397 व रोही मौजा थिराना के खाता स0 241/397 में में वादी का नाम क्रमशः गोकलसिंह पुत्र विजयसिंह व गोकल सिंह पुत्र बिरज सिंह है सहवन से राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत दर्ज हुआ है, इसलिए राजस्व रिकार्ड में वादी अपना नाम संशोधित करवाने की अधिकारी है। वाद वादी स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड में नाम संशोधन करने के आदेश फरमावें।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2023 कैम्प कोर्ट में पेश हुई। हमने वादी को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया। रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता स0 263/49 की कुल 6.5260 हैक्ट भूमि में 1/4 हिस्सा, रोही मौजा थिराना के खाता स0 241/397 की कुल 2.5290 हैक्ट भूमि में 1/5 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में वादी का नाम क्रमशः गोकलसिंह पुत्र विजयसिंह व गोकल सिंह पुत्र बिरज सिंह वादी का कथन है कि उसका सही नाम गोकुलसिंह पुत्र विजयसिंह है यही नाम अन्य दस्तावेज में भी दर्ज है तथा रिपोर्ट पटवारी हल्का नीमला, भू0अ0नि0 खुईया एवं तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट में भी नाम संशोधन की अभिशंषा की गई है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात यथा आधारकार्ड, राशन कार्ड, राजस्व रिकार्ड एवं सरंपच ग्राम पंचायत नीमला द्वारा तस्दीक प्रमाण पत्र आदि में वादी का नाम गोकुल सिंह पुत्र विजय



सिंह दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है। वादी के नाम के संबंध में ग्राम पंचायत नीमला ने तस्दीक भी पेश की गई है वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों एवं सरपंच ग्राम पंचायत नीमला की तस्दीक के आधार पर वादी का नाम गोकुल सिंह पुत्र विजय सिंह होना प्रतीत होता है। नाम संशोधन करने से राज्यहकों को कोई नुकसान नहीं है बल्कि राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं सरपंच की तस्दीक तथा तहसीलदार एवं भू0अ0नि0 एव पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता स0 263/49 की कुल 6.5260 हैक्ट भूमि में 1/4 हिस्सा, रोही मौजा थिराना के खाता स0 241/397 की कुल 2.5290 हैक्ट भूमि में 1/5 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है में वादी का नाम क्रमशः गोकलसिंह पुत्र विजयसिंह व गोकल सिंह पुत्र बिरज सिंह दर्ज है के स्थान पर गोकुल सिंह पुत्र विजय सिंह के अंकन की घोषणा की जाती है। यदि किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच क्रमशः गोकलसिंह पुत्र विजयसिंह व गोकल सिंह पुत्र बिरज सिंह के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का क्रमशः गोकलसिंह पुत्र विजयसिंह व गोकल सिंह पुत्र बिरज सिंह के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए वादी का नाम क्रमशः गोकलसिंह पुत्र विजयसिंह व गोकल सिंह पुत्र बिरज सिंह लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24.11.23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2023
नोहर (हनुमानगढ़) कैम्प : परलीका

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 269/2023

अनवान : -

1. गोकुल सिंह पुत्र विजय सिंह जाति राजपुत निवासी थिराना तहसील नोहर।

-वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

-प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 269 सन 2023 निर्णय दिनांक 24.05.2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता स0 263/49 की कुल 6.5260 हैक्ट भूमि में 1/4 हिस्सा, रोही मौजा थिराना के खाता स0 241/397 की कुल 2.5290 हैक्ट भूमि में 1/5 हिस्सा भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है में वादी का नाम क्रमशः गोकलसिंह पुत्र विजयसिंह व गोकल सिंह पुत्र बिरज सिंह दर्ज है के स्थान पर गोकुल सिंह पुत्र विजय सिंह के अंकन की घोषणा की जाती है। यदि किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच क्रमशः गोकलसिंह पुत्र विजयसिंह व गोकल सिंह पुत्र बिरज सिंह के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का क्रमशः गोकलसिंह पुत्र विजयसिंह व गोकल सिंह पुत्र बिरज सिंह के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए वादी का नाम क्रमशः गोकलसिंह पुत्र विजयसिंह व गोकल सिंह पुत्र बिरज सिंह लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 24.05.23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2023

नोहर (हनुमानगढ़) कैम्प : परलीका